जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 18.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 03 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत सिसवा फतेउल्लाह से कालर द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 03 महिलाओं (1.सरिता पुत्री श्रीराम 2. गीता पुत्री श्रीराम 3.सती पत्नी दिनेश निवासीगण सिसवा फतेउल्लाह थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ0 भरत कुमार सोनी, आ0 इन्द्रजीत वर्मा, हो0चा0 उमेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनों से 79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनों से 79,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा वारण्टी नाम पता सुनीता पत्नी राजकुमार निवासी भगवानपुर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र, हे0का0 मनोज यादव, का0 शैलेन्द्र यादव, म0का0 अनामिका सिंह।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1. रामजीत पुत्र कल्पनाथ निवासी पड़री थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर 2. यसवन्त पुत्र रामजीत निवासी पड़री थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, का0 संतोष यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1100 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन*** व ***मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 17.01.2025 को ***मा0 न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम प्रतिवादी 1. फैय्याज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी छितही 2. सउद अहमद पुत्र जउवाद अहमद निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में आदेश दिया गया कि अभि0गण फैय्याज अहमद व सउद अहमद को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/8 गौ हत्या नि0 अधि0 में प्रत्येक अभि0गण को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रु0 (पाँच सौ रुपये) व धारा 5/8 गौ हत्या निवारण अधि0 में प्रत्येक अभि0गण को जेल में बितायी गयी अवधि व 50/-रु0 (पचास रुपये) (कुल एक हजार एक सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने पर दो-दो दिवस के कारावास की सजा दी जाती है। आरोप पत्र में नामित एक अन्य अभि0 जउवाद अहमद की मृत्यु आख्या मय प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त अभि0 के विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही पूर्ण उपसामित की जा चुकी है, आरोप पत्र में अन्य कोई अभि0 अवशेष नही है।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 367/2024 धारा 137(2), 61(2), 351(3), 352,87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राजन पुत्र तेजई निवासी मोहल्ला पुरवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 18.01.2025 को सांथा मार्ग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 06.12.2024 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा दिनाँक 01.12.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 18.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, का0 मिन्टू।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थानो पर लगवाये गये 10 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 18.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थान पर 10 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरे व थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 05 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 10250 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन*** व ***मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 18.01.2025 को ***मा0 न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2000 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 506 भादवि व 7CLA ACT प्रतिवादी 1. जहीर अहमद पुत्र अख्तर हुसैन 2. सईद अहमद पुत्र अख्तर हुसैन 3.एजाज अंसारी पुत्र बरकत 4. जुम्मन उर्फ मतलूष पुत्र अजील 5. अकबाल पुत्र रफीक निवासीगण छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में आदेश दिया गया कि अभि0गण जहीर अहमद, सईद पुत्रगण, अख्तर हुसेन, एजाज अंसारी पुत्र बरकत अली, जुम्मन उर्फ मतलूब पुत्र अजीज व अकबाल पुत्र रफीक निवासीगण छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मु0सं0 1148/2008, अ0सं0-198/2000 अन्तर्गत धारा 3/8 गौ हत्या नि0 अधि0 में प्रत्येक अभि0गण को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रु0 (पाँच सौ रुपये) व धारा 5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 में प्रत्येक अभि0गण को जेल में बितायी गयी अवधि व 50/-रु0 (पचास रुपये) व 506(2) भा0द0वि0 में प्रत्येक अभि0गण जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/-रु0 (एक हजार रुपये) तथा 7CLA ACT में प्रत्येक अभि0गण को जेल में बितायी गयी अवधि व 500/- रु0 (पाँच सौ रुपये)

(कुल दस हजार दो सौ पचास रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड जमा न करने पर पाँच-पाँच दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा है । आरोप पत्र में नामित एक अन्य अभि0गण की मृत्यु आख्या मय प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त अभि0 के विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही पूर्ण उपसामित की जा चुकी है, आरोप पत्र में अन्य कोई अभि0 अवशेष नही है ।

आत्महत्या से सम्बन्धित पोस्ट के सम्बन्ध में बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है-

1 - पोस्ट करने वाले पीड़ित का नाम मो0 नुमान पुत्र फैज मोहम्मद उम्र करीब 14 वर्ष निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा तहसील मेहदावल जनपद संतकबीरनगर ।

2 - पीड़ित क्या करता है: - 6 वीं कक्षा का छात्र है ।

3- पीड़ित के द्वारा किस प्रकार की पोस्ट की गई (पोस्ट लिखा गया/ वीडियो अपलोड किया गया) :- पीड़ित द्वारा सोशल मिडिया प्लेटफार्म (इंस्टाग्राम) पर ह्वाईट सीमेंट (पीओपी) की गोली खाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट किया गया था ।

4- किसके द्वारा पीड़ित से वार्ता/काउंसलिंग की गई (काउंसलिंग करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम एवं पद): - थानाध्यक्ष बखिरा उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद , उ0नि0 शम्भु राम, हे0का0 कामेश्वर सिंह, हे0का0 अजय सिंह, का0 प्रवीण कुमार ।

5- काउंसलिंग के दौरान पीड़ित ने क्या जानकारी दी (पीड़ित ने ऐसी पोस्ट क्यों की थी, यह सूचना उपलब्ध कराई जायेगी): - प्रेम-प्रसंग में लड़की से झगड़ा हो गया था इसीलिए मैंने जहर खाने की पोस्ट डाल दी ।

6- पीड़ित द्वारा दुबारा पोस्ट नहीं किए जाने के सम्बंध में लिखित अथवा मौखिक, किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है:- मौखिक / लिखित दिया गया -- मौखिक

7- काउंसलिंग से संबंधित वीडियो अथवा यदि कोई लिखित आश्वासन दिया है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जायेगी:- विडियो संलग्न